2016/00170 (4)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मुख्यालय सेपऊ)

पीठासीन अधिकारी –विनोद कुमार मीना आर० ए० एस०

प्रकरण संख्या– 86/2016

ललितादेवी पत्नी रामगोपाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

————वादी

बनाम

1–सियाराम पुत्रश्री पाती जाति काछी निवासी ग्राम गोदूपुरा तहसील सैपऊ
2–पंजाब नेशनल बैंक शाखा सैपऊ जरिये शाखा प्रबन्धक
3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.........प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति–
1–श्री सज्जनबाबू तिवारी एडवोकेट

निर्णय दिनांक : 14.7.2017

वादिया की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण विवादित आराजी खसरा नम्बर 943 रकवा 2 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम सैपऊ नम्बर 2 तहसील सैपऊ का वास्ते बटवारा काश्त न्यायालय में प्रस्तुत किया । उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर आज ही दिनांक 14.7.2017 को दावा वादी प्रारम्भिक डिकी किया जाकर बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बटवारा किये जाने के आदेश दिये गये तथा तहसीलदार सैपऊ को आदेशानुसार कार्यवाही कर अच्छी में अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा कैम्प के दौरान ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। विभाजन प्रस्ताव पर विद्वान अभिभाषक वादी को सुना तथा तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिकी किये जाने पर सहमति जाहिर की । तहसीलदार सैपऊ द्वारा मुताबिक आदेश विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये जाना प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिकी किया जाना उचित समझते है ।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम सैपऊ नम्बर 2 तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है ।

1– ललितादेवी पत्नी रामगोपल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	
1.	943/1	1.01	दक्षिण दिशा
कुल	01	1.01	

2-सियाराम पुत्रश्री पाती जाति काछी निवासी ग्राम गोदूपुरा तहसील सैपऊ

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	
1.	943 मिन	1.15	उत्तर दिशा
कुल	01	1.15	

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा० की कार्यवाही करें। लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.7.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विनोद ...)
उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
उप खण्डाधिकारी
सैपऊ